

अन्तिम

**डिग्री मुकदमा इवतदाई**

(ओ. 20 रुल 6-7 जाका चीवाजी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकदमा खंडेला

व इजलास श्री रणजीत सिंह R.A.S.

① झंगाराम पुत्र शूराराम जाड़ी वनाम ① मोहन लाल पुत्र वोदुशमः  
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 36 सन 2019

यह मुकदमा आज वारसे इनाफिसाल कतई रुबरु श्री रणजीत सिंह R.A.S.

व हाजिरी श्री डी. पी. सेनी एड. गिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री भजनाराम एड।

गिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, य डिगरी दी जाती है कि

अपार्थीगण को जरिघे स्थायी निषेधाज्ञा पावं द हिचा जाता है कि अपार्थीगण विवादित झराजी ख. नं. 1710 तन गाम ज्योरिवानगर पं. हं. चौकड़ी में खड्डे नही खोदे, विद्युत सम्बन्ध नाले, ना जारी करे तथा मोना सुरत बनाये रखेः

गिन  मुवलिग  बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मस सूद नशरह  फीसदी .....ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक  का अदा करे।

नसबत मेरे दखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 02 सन 2020



दस्तखत (रणजीत सिंह)  
ओ सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वज्रह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कांमिशनर		
फीस कांमिशनर			बाबत इजाराय हुकमनामा		
बाबत इजाराय हुकमनामा			मुतफरिफ		
मुतफरिफ					

गीजान

गीजान

×: माली निवासी द्वागी त्रिलोक सिंह वाली ज्योतिबा  
नगर तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)  
- धादी

धनाम

×: (2) नाथुराम पुत्र मोहनलाल (3) हीरादेवी पत्नी  
नाथुराम (4) धर्मपाल पुत्र मोहनलाल (5) शेखादेवी  
पत्नी धर्मपाल निवासी द्वागी त्रिलोकसिंह वाली  
ज्योतिबा नगर तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)  
(6) सद्यपत अग्निपन्ना (O. & M.) अजमेर विद्युत वितरण  
निगम लिड कांक्ट तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)  
(7) कनिष्ठ अग्निपन्ना (O. & M.) अजमेर विद्युत वितरण  
निगम लिड चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)  
- पुत्रिवादीगण

×: अग्रार्थीगण स्व. नं. 1707 तन गाव ज्योतिबा नगर  
फ व चौकडी से विद्युत सम्बन्ध लेने / जारी करने  
देतु स्वतंत्र रहेंगे।



(रणजीत सिंह)  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला